**संख्या-19/2021/सा0-366/38-2-2020**

प्रेषक,

अच्छे लाल सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

**ग्राम्य विकास अनुभाग-2** **लखनऊ: दिनांक 23 फरवरी, 2021**

विषयः- जनपद भदोही के विकास खण्ड अभौली के आवासीय/अनावासीय भवनों के कार्य हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदयए

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-623/38-3-2005-7बी/2003, दिनांक 07.03.2005 द्वारा जनपद भदोही के विकास खण्ड अभौली के आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु रू0 46.01 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति एवं शासनादेश संख्या-2647/38-3-2005-7बी/2003, दिनांक 23.01.2006 द्वारा रू0 46.01 लाख (रूपये छियालीस लाख एक हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए वर्ष 2005-06 में रू0 46.01 लाख (रूपये छियालीस लाख एक हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त की गयी थी ।

2- आपके पत्रांक-907/बजट अनु0/सामु0वि0/2018-19, दिनांक 10 दिसम्बर, 2018 एवं मुख्य विकास अधिकारी, भदोही के पत्रांक-1715/नाजिर/न0वि0ख0/2018-19, दिनांक 01 दिसम्बर, 2018 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल जनपद भदोही के विकास खण्ड अभौली के आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण कार्य हेतु मुख्य प्राविधिक परीक्षक एपेक्स टी0ए0सी0 ग्राम्य विकास उ0प्र0 की अध्यक्षता में गठित त्रिसदस्यीय समिति द्वारा आकलित लागत 152.78 लाख (रूपये एक करोड़ बावन लाख अट्ठहत्तर हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा स्थल परिवर्तन की अनुमति प्रदान करते हुए निर्माण कार्यों को पूर्ण कराये जाने हेतु पूर्व में अवमुक्त धनराशि ब्याज सहित रू0 71.92 लाख को घटाने/समायोजित करने के उपरान्त रू0 80.86 लाख (रूपये अस्सी लाख छियासी हजार मात्र) चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अवमुक्त करते हुए निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृतियॉ निर्गत किये जाने विषयक वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/ 2020दि0 24 मार्च, 2020 एवं शासनादेश संख्या-10/2020/बी-1-564/दस-2020-231/2020, दि0 29 सितम्बर, 2020 में प्रावधानित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा शासनादेश में दिये गये अन्य दिशा निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाईनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(3) धनराशि के आहरण एवं व्यय के संबंध में मितव्ययता संबंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(4) स्वीकृत धनराशि के व्यय निर्माण संबंधी संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्थानुसार/ मानकों के अधीन किया जायेगा तथा स्वीकृत की गयी धनराशि के विरूद्ध निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त होने व उसके परीक्षण व सत्यापन का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास उ0प्र0 का होगा।

(5) कार्यदायी संस्था द्वारा लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टियों एवं मानकों के अनुसार गुणवत्ता पूर्ण कार्य संपादित कराया जायेगा। निर्माण कार्यनिर्धारित मानकों के अनुसार हो तथा उसकी गुणवत्ता उत्क़ष्ट कोटि की हो, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी तथा समय-समय पर अनुश्रवण कार्य की गुणवत्ता एवं कार्य निर्धारित समय में पूर्ण होए यह सुनिश्चित कराये जाने का उत्तरदायित्व आयुक्तए ग्राम्य विकास उ0प्र0ए लखनऊ का होगा।

(6) उक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा, जिस बाउचर संख्या एवं जिस तिथि को धनराशि कोषागार से आहरित की जाय, उसका विवरण महालेखाकार, उ0प्र0 एवं आयुक्त, ग्राम्य विकास एवं शासन को अविलम्ब प्रेषित किया जाय तथा धनराशि के पूर्ण उपयोग की सूचना शासन को उपलब्ध करायी जाय। निर्माण कार्य के वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की सूचना प्रतिमाह आयुक्त, ग्राम्य विकास को भेजी जाय।

(7) इस धनराशि का उपयोग उसी प्रकार किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है तथा इसे अन्य कार्यों के लिए डाइवर्ट नहीं किया जायेगा, जैसे ही धनराशि का पूर्ण उपयोग हो जाय, उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रेषित कर दिया जाय।

(8) इस धनराशि से निष्पादित कराये जाने वाले कार्यों के लेखों की लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के विवेकानुसार की जायेगी।

(9) आयुक्त, ग्राम्य विकास, सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी एवं कार्यदायी संस्था द्वारा ई-परियोजना प्रबन्धन वेबसाइट पर दर्ज परियोजनाओं की सूचना प्रत्येक माह अद्यतन किया जाय।

(10) कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 24 मार्च, 2020, इस शासनादेश में उल्लिखित सभी शर्तों एवं पूर्व में निर्गत शासनादेश दिनांक 07 मार्च, 2005 तथा 23 जनवरी, 2006 का अनुपालन विभाग में कार्यरत वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे तथा यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो तो सम्बन्धित वित्त नियंत्रक आदि का दायित्व होगा कि वे मामले की पूर्ण सूचना विवरण सहित शासन/वित्त विभाग को प्रेषित करेंगे।

(11) यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है अर्थात् किसी प्रकार द्विरावृत्ति न हो। उक्त कार्यों की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति नहीं की जायेगी।

(12) स्वीकृत धनराशि के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-4/2020/बी-1-192/दस-2020-231/2020 दिनांक 07 अप्रैल, 2020 का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि में से निर्माण कार्य हेतु दो-दो माह की आवश्यकता के लिये आवश्यक धनराशि, आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से आहरण कर उपलब्ध करायी जाय तथा कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 75 प्रतिशतका उपभोग करने के उपरान्त अगले 02 माह के लिए पुन: आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाय।

(13) कार्यदायी संस्था द्वारा लिखित सहमति के क्रम में आंकलित लागत पर ही कार्य गुणवत्ता युक्त पूर्ण कराया जायेगा। निर्माण कार्य स्वीकृत लागत से निर्धारित समयावधि में ही पूरे किये जायेंगे।

(14) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में पी0एल0ए0/बैंक/डाकघर में नहीं रखा जायेगा।

(15) स्वीकृत की जा रही धनराशि जिस मद/कार्य हेतु दी जा रही है उसी मद/कार्य में ही व्यय की जायेगी। इसका किसी अन्य मद/कार्य में व्यय अनुमन्य नहीं होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(16) धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा।

(17) कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में निर्धारित सीमा तक ही समस्त कर/सेस/चार्ज लिया जायेगा तथा संबंधित को नियमानुसार भुगतान किया जायेगा तथा प्रायोजना में सम्मिलित उपकरणों आदि का क्रय सुसंगत क्रय नियमों/स्टोर पर्चेज रूल्स के अन्तर्गत किया जायेगा।

(18) धनराशि एकमुश्त आहरित न करके अपितु आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय हेतु कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।

(19) स्वीकृत की जा रही धनराशि से कराये जाने वाले निर्माण कार्यों में क्रय की जाने वाली सामग्री आदि के सम्बन्ध में निर्गत संगत शासनादेशों व वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(20) प्राक्कलन में प्राविधानित किया गया 02 प्रतिशत कन्टीजेंसी व्यय वित्त विभाग की अनुमन्यता के अनुसार ही देय होगा।

(21) योजनान्तर्गत निर्माण कार्य अनुमोदित ड्राईंग के आधार पर विस्तृत प्राक्कलन गठित करते हुए उसकी तकनीकी स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त करने के उपरान्त ही नियमानुसार कार्य कराया जायेगा।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 के अधीन "लेखाशीर्ष-4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-102-सामुदायिक विकास-03-जिला विकास कार्यालय भवनों का निर्माण तथा सामुदायिक विकास खण्ड कार्यालयों /केन्द्रों आदि के भवनों का निर्माण (जिला योजना)-24 वृहत् निर्माण कार्य" के नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त अशासकीय पत्र संख्या- यू0ओ0 ई-2-186/x-21, दिनांक 23.02.2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
अच्छे लाल सिंह यादव
विशेष सचिव।

**संख्या-19/2021/सा0-**366**(1)/38-2-2020 तददिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) प्रथम /द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार,(लेखा-परीक्षा) प्रथम /द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- अपर आयुक्त, (वित्त) ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
4- जिलाधिकारी, भदोही।
5- मुख्य विकास अधिकारी/जिला विकास अधिकारी, भदोही।
6- कोषाधिकारी, भदोही।
7- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, भदोही।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (बजट) अनुभाग-1/2
9- अधिशासी अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग प्रखण्ड- भदोही।
10- ग्राम्य विकास अनुभाग-6
11- गार्ड बुक।

आज्ञा से,
रमेश चन्द्र मिश्र
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।